FORM No.III
(फर्दअहकाम नियम 26)

APP Crll

अदालम कलेक्टर मुकाम बसवा

ओमप्रकाश बनाम सरकार

मुकदमा पत्रावली 128, 111 नं. 51 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2024	प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र छुट्टन जाति माली निवासी गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा वगैरह द्वारा जरिये एड. श्री नवीन गुर्जर विरूद्ध अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा वगैरह के अंतर्गत धारा 128, 111 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्थायी सीमा चिन्ह का पेश किया है। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकालों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 6-8-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
6/8/24	पत्रावली पेश हुई इंतजार तलबी में आ.ता. 21-8-24 को पेश हो।	
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकालो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 29-8-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
29/8/24	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई, निर्णय ... लिखा गया, जो शामिल ... से कक्ष होकर दाखिल ... हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 31 / 2024
प्रकरण रज्जु दिनांक : 18.07.2024
निर्णय दिनांक :– 29.08.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र छुट्टन
2. कौशल्या देवी पत्नी रामहेत
3. गुड्डी देवी पुत्री रामहेत
4. छुट्टन पुत्र नानगा
5. जगदीश पुत्र छुट्टन
6. दामिनी पुत्री कैलाश
7. धनबा पत्नी पप्पूराम
8. नेहा पुत्री कैलाश ना.बा.जरिये सरंक्षक माता मंजु देवी
9. पूजा पुत्री कैलाश
10. प्रियंका पुत्री कैलाश ना.बा.जरिये संरक्षक मंजु देवी
11. पोल्या पुत्र मूल्या
12. बनवारी पुत्र रामहेत
13. मंगलराम पुत्र रामहेत
14. मंजू देवी बेवा कैलाश
15. मन्नी पत्नी छुट्टन
16. लक्ष्मण पुत्र रामहेत
17. संजय पुत्र कैलाश

समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम गुढाकटला तह.बसवा (दौसा)
(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा
(अप्रार्थी)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.8.2024

उपस्थित : प्रार्थी की ओर से एडवोकेट
श्री नवीन कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128, 111 एल.आर. एक्ट वास्ते स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी किये जाने हेतु पेश किया है कि ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा में प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 389 पुराना 313 आराजी खसरा नंबर 1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259 / 1622, 1259 / 1623 कुल किता 7 कुल रकबा 3.85 हैक्टयर एवं खाता संख्या नया 313 पुराना 292 आराजी खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

1255 रकबा 0.10 हैक्टयर भूमि स्थित है । प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है और अब प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि पडौसी खातेदार में कोई विवाद ना हो और मौके पर शांति बनी रहे भविष्य में कभी सीमाओं का विवाद ना रहे । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का तहसीलदार बसवा द्वारा आदेश कमांक भू.अ./सीमांज्ञान/2024/140 दिनांक 27.5.2024 की पालना में पटवारी हलका द्वारा मौके पर दिनांक 27.6.2023 को सीमाज्ञान किया जा चुका है जिसकी सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है । प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में सीमाओं के विवाद से झगडा फसाद होने की संभावना भी रहती है । प्रार्थीगण की आराजियात का सीमाज्ञान हो चुका है परंतु प्रार्थीगण की आराजियात की सीमाओं का पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी सुरक्षा दीवार नहीं करवा पा रहा है जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थीगण के खेतों में फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं लिहाजा प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी का दिनांक 27.6.2024 के सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें ।

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

प्रकरण के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 27.6.2024 का अवलोकन किया गया । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हलका गुढाकटला द्वारा अंकन किया गया है कि "आज दिनांक 27.6.2023 को श्रीमान् नायब तहसीलदार साहब गुढाकटला के आदेश कमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2024/140 दिनांक 27.5.2024 की पालना में ग्राम गुढाकटला के आराजी खसरा नंबर 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259/1622, 1259/1623 के मौके पर पहुँचा । मौके पर प्रार्थना पत्र देहन्दा उपस्थित मिले । सर्वप्रथम मुताबिक राजस्व नक्शा सीट के मिलान किया गया । मुताबिक राजस्व नक्शा सीट में अंकित आराजी खसरा नंबर 365, 351, 1264 किस्म गै.मु.चाह का जरीब चलाकर सत्यापन किया गया । जो मुताबिक राजस्व नक्शा सीट के अनुसार सही पाया गया । उक्त तीनों बिन्दुओं को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए आराजी खसरा नंबर 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259/1622, 1259/1623 किता 8 रकबा 3.95 हैक्टयर की सभी भुजाओं पर निशानात लगाये गये । उक्त मौका पर्चा मौके पर तैयार किया गया एवं उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया गया एवं उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गये ।

प्रकरण का आद्योपांत अध्ययन एवं दस्तावेजात से मिलान करने पर यह स्वयंसिद्ध है कि प्रकरण के कम में सीमाज्ञान 27.6.2024 को किया गया, किंतु पटवारी हलका गुढाकठला द्वारा सहवन से मौका पर्चा पर एक जगह पर 27.6.2023 अंकित किया गया ।

तथापि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । बाद पत्रावली अवलोकन एवं मनन के हम इस निष्कर्ष पर [illegible] है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया [illegible] उसमें से यदि भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं तो प्रार्थी [illegible] सुरक्षा प्राप्त होगी । ऐसी दशा में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:37:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की आराजी ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा में खाता संख्या नया 389 पुराना 313 आराजी खसरा नंबर 1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259/1622, 1259/1623 कुल किता 7 कुल रकबा 3.85 हैक्टयर एवं खाता संख्या नया 313 पुराना 292 आराजी खसरा नंबर 1255 रकबा 0.10

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकरं नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी, सिकराय
जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested